"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 14 फरवरी 2017— माघ 25, शक 1938

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-07/आठ-परि./2016. — मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 65, 96 एवं 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 70-क के उप-नियम (2) के खण्ड (दो) के उप-खण्ड (क) में, अंक "15" के स्थान पर, अंक "12" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 70-क के उप-नियम (2) के खण्ड (तीन) में, अंक "15" के स्थान पर, अंक "12" प्रतिस्थापित किया जाये.

3. नियम 70-क के उप-नियम (2) के खण्ड (चार) में, जहां कहीं भी अंक "15" आया हो, के स्थान पर, अंक "12" प्रतिस्थापित किया जाये.

4. नियम 70-क के उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(3) इस अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व जारी प्रक्रम यात्री वाहन अनुज्ञापत्र दिनांक 01-08-2017 के पूर्व 12 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वाहनों हेतु दिनांक 01-08-2017 से तथा अन्य वाहनों हेतु 12 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि से, जब तक कि ऐसे वाहनों को इस अधिसूचना के प्रावधानों में यथा उल्लिखित समुचित आयु के वाहन से प्रतिस्थापित नहीं किया गया हो, अविधिमान्य माने जायेंगे."

No. F 5-07/VIII/Trans./2016. — In exercise of the powers conferred by Section 65, 96 and 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In sub-clause (a) of clause (ii) of sub-rule (2) of rule 70-A, for the figure "15", the figure "12" shall be substituted.

2. In clause (iii) of sub-rule (2) of rule 70-A, for the figure "15", the figure "12" shall be substituted.

3. In clause (iv) of sub-rule (2) of rule 70-A, wherever they occur the figure "15", the figure "12" shall be substituted.

4. For sub-rule (3) of rule 70-A, the following shall be substituted, namely :-

"(3) Stage carriage permits granted before the publication of this notification shall be deemed to be invalid from 01-08-2017 for vehicles which have completed 12 years of age before 01-08-2017 and from the date of completion of 12 years of age for other vehicles unless such vehicle has been replaced by a vehicle of proper age as mentioned in the provisions of this notification."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.